

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

विषय: जनपद-टिहरी के अन्तर्गत भिलंगना द्वितीय-ए लघु जल विद्युत परियोजना (24.0 मेगावाट) के निर्माण हेतु 9.975 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

देहरादून: दिनांक: 28 अगस्त, 2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2722/FP/UK/HYD/7287/2014, दिनांक 04 अप्रैल, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-टिहरी के अन्तर्गत भिलंगना द्वितीय-ए लघु जल विद्युत परियोजना (24.0 मेगावाट) के निर्माण हेतु 9.975 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम को 30 वर्षों की लीज पर विधिवत् स्वीकृति दिये जाने विषयक भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./01/13/2016/एफ.सी./2305 दिनांक 04.02.2019 के आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 19.95 है० ग्राम-सौड़ एवं बडियार सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाता है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
7. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसके उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
9. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित ट्रान्समिशन लाइन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर बौने पौधों (विशेषकर औषधीय पौधे) यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
11. मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण हेतु बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से परियोजना निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
18. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
19. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्टक के शासनादेश संख्या 198/7-जी-सी-89-3-89, दिनांक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-01-न्याय प्रशासन-501-सेवायें और सेवा फीस-01-की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त ही निष्पादित किया जायेगा।
20. कम से कम वृक्षों का कटान-पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 526 से अधिक न हो।
21. उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत विधिवत स्वीकृति के आदेश दिनांक 04.02.2019 में उल्लिखित समस्त शर्तों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
22. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी हैन्ड बुक के Annexure-V में दिये गये मार्गदर्शी नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
23. वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रुपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लिया जायेगा।
वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)=जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य x लीज अवधि

99

24. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।


भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्या: 864 (1)/X-4-19/2(04)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनीकीरेती।
5. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, टिहरी।
7. अधिशासी अभियन्ता, भिलंगना परियोजनायें, यू0जे0वी0एन0 लि0, घनसाली, टिहरी गढ़वाल।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।